# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती प्रेम w/o धूलर जाति जाट बनाम नन्दू पुत्री श्री हेमा w/o श्री अराव आदि जाट

किस्म मुकदमा बाज०प्रा०पत्र नम्बर 365 सन 2019 (नव्हो. ___)

5.01.22 प्रार्थना पत्र अन्तगर्त आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा०दी० पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना निवेदन किया कि अपीलार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2019 को गैर हाजीर रहने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपील को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज की गयी जो अधिवक्ता अन्य न्यायालय में कार्यरत रहने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो सका ना ही अपने पक्षकार अपीलार्थीगण को तारिख पेशी की सूचना दे सका जिससे अपील खारिज की गयी है जो कृत्य जानबूझकर नही किया गया था तथा प्रकरण अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाकर. न्याय निर्णय किये जाने के लिये पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस आगे कथन किया के अपील का निर्णय गुणावगुण पर नही किया गया तो अपीलार्थीगण को अपनी भूमि से वांछित होना पडेगा तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त अपील खारिज होने से परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना है तथा अपीलार्थीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी पूर्ति संभव नही है तथा प्रकरण में अभि [illegible] की गलती [illegible] पक्षकार की नही है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने एवं अग्रिम कार्यवाही करे।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। [illegible] को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण [illegible] समझते हैं।

**अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तगर्त आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा०दी० को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश [illegible] जाते हैं। [illegible] से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर